संख्याः– 4301 / नौ–5–19–404सा / 2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–समस्त अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
(द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांकः 17 अक्टूबर, 2019**

विषयः– उत्तर प्रदेश नगर पालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 एवं नगर महापालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराया जाना है कि प्रदेश के स्थानीय निकायों में Accrual-based दोहरी लेखा प्रणाली लागू किये जाने हेतु दिनांक 08.03.2019 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 एवं नगर महापालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 का प्रख्यापन किया जा चुका है। यह संज्ञान में आया है कि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में नगर पालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषदों में दिनांक 15.04.2020 तक एवं नगर पंचायतों में दिनांक 15.10.2020 तक उक्त उत्तर प्रदेश नगर पालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– उपर्युक्त तिथियां अंतिम रूप से निर्धारित की गयी है। उक्त तिथियों तक अनुपालन सुनिश्चित न कराने वाले निकायों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

17.10.19
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–गार्ड फाईल / कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

17/10/19
(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।